

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Appeal Case No.- 63 /2023]

Sidyanand Bhagat & Ors.Appellant

Versus

Kanchan Devi & Ors.Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<u>15.7.2025</u>	प्रस्तुत भूमि विवाद अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या-31/2022-23 में दिनांक-07.1.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-05.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों - वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह परिलक्षित है कि उभय पक्ष प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत के वंशज हैं। तथा उनके बीच प्रश्नगत जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद है। संयुक्त खानदानी जमीन में से किसी वारिसान के अंश/हिस्सा का निर्धारण Indian Succession Act के प्रावधानों के अनुसार ही हो सकता है। Indian Succession Act के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त प्रश्नगत जमीन के Title/Right का निर्धारण किये बिना ही निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरी बख्तियारपुर) के स्तर से भूमि सीमांकन कराने संबंधी आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। इससे विवाद का स्थायी समाधान होने के बजाये अनुवर्ती भूमि विवाद की संभावना है। इस विवाद का निराकरण सक्षम न्यायालय (Civil Court) के समक्ष Title Suit में ही हो सकता है। अतः निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरी बख्तियारपुर) द्वारा BLDR Case No-31/2022-23 में पारित आदेश (07.1.2023) को निरस्त करते हुए सक्षम न्यायालय (Civil Court) के स्तर से Title/Right निर्धारित होने तक Status quo (राजस्व अभिलेख तथा सरजमीन पर) Maintain करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Raj k. 15/7/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Raj k. 15/7/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

